भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4969

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान पहचान-पत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन

4969. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसान पहचान-पत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) डिजिटल कृषि मिशन से कृषि अवसंरचना, बोई गई फसलों, खेतों के स्वामित्व, भूमि अभिलेखों आदि के सृजन में कितनी सहायता मिलती है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य इस पहल का विरोध कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) किसान पहचना-पत्र बनाने के लिए किसानों और राज्यों को दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या किसान पहचान-पत्र बनाने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): सरकार ने सितंबर 2024 में 2817 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए एक व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र। यह अभिनव किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देगा और सभी किसानों को समय पर विश्वसनीय फसल-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात् भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जो सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और रखी जाती हैं। एग्रीस्टैक किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करता है, जिससे किसानों को क्रेडिट, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणीकरण करने में मदद मिलती है। यह राज्यों को ऐसे समाधान तैयार करने में भी सक्षम बनाता है जो किसानों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुंच बनती है, जैसे कि इनपुट की खरीद और भरोसेमंद तरीके से ऑनलाइन उपज की बिक्री।

सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। दिनांक 28.03.2025 तक कुल 4,85,57,246 किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। सरकार मिशन के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

सरकार ने किसान पहचान-पत्र बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

I. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने 2024-25 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की योजना की घोषणा की है, जिसका कुल आवंटन 5000 करोड़ रुपये है। दिनांक 28.03.2025 तक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों को फंड रिलीज करने के लिए कीडीओई को 1981.41 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है।

II. इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को कैंप-मोड दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है, जिसके तहत राज्यों को फील्ड-स्तरीय शिविर आयोजित करने और स्थानीय प्रशासन को जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति शिविर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

III. किसान रजिस्ट्री के निर्माण और सत्यापन में तेजी लाने के लिए, पीएम किसान योजना के प्रशासनिक फंड से प्रति किसान आईडी 10 रुपये का प्रावधान किया गया है । इस राशि का उपयोग किसानों की रजिस्ट्री के निर्माण में शामिल क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

*****